वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्या-~~88~~ 822/XVII(1)-01/2007-106(स.क.)/2002

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01. देहरादून, दिनांक : 9 अक्टूबर, 2007.

विषय : वित्तीय वर्ष 2007-08 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1547/ज.जा.क./धारा-275(1)/2006-07, दिनांक 21 मार्च, 2007 तथा शासन के पत्रांक 296/XVII(1)-01/2007-106(स.क.)/2002, दिनांक 29 मई, 2007 का संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु रूपये 63,00,000/- (रूपये तिरेसठ लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त धनराशि का व्यय जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार के शासनादेश संख्या-14020/4/2006 एस.जी.-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 द्वारा स्वीकृत कार्यों पर तथा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाय।

2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनरिश में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

7. स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड--5, भाग–1 एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–31" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2225–अनु.जातियों, अनु. जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, 02–अ0सू0जन जातियों का कल्याण, 800–अन्य व्यय, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0101–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डाला जायेगा।

10. भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–408(P)/XXVII(3)/2007, दिनांक 05 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :922 (1)/XVII(1)-01/2007–45(स.क.)/2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।

09100701.pdf